प्रकाशन हेतु अनुमोदित_

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
युगलपीठ

कोरम: माननीय श्री टी. पी. शर्मा तथा

माननीय श्री आर. एल. झंवर, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 927/1993

अपीलार्थी: दीपक कुमार

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

विचारण हेतु निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-
टी. पी. शर्मा
न्यायमूर्ति

माननीय श्री आर. एल. झंवर, न्यायमूर्ति – मै सहमत हूँ |

हस्ता/-
आर. एल. झंवर
न्यायमूर्ति

निर्णय उदघोषित करने हेतु दिनांक : 29/04/2010

हस्ता/-
टी. पी. शर्मा
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम: माननीय श्री टी. पी. शर्मा तथा

माननीय श्री आर. एल. झंवर, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 927/1993

अपीलार्थी: दीपक कुमार, पिता संतोष कुमार इसाई, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी — एस.ई.सी.एल. सुभाष ब्लॉक, कोरबा, जिला बिलासपुर, म.प्र.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित: श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री सुधीर बाजपेयी, उप शासकीय अधिवक्ता शासन/प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय

(दिनांक 29/04/2010 को निर्णय हेतु उदघोषित)

निम्नलिखित न्यायालयीन निर्णय माननीय न्यायमूर्ति टी. पी. शर्मा द्वारा पारित किया गया —

1. प्रस्तुत अपील उस दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध है, जो कि दिनांक 12/08/1993 को चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 106/1992 में पारित किया गया था। जिसके अंतर्गत अपीलार्थी को अपनी भाभी ललिता बाई की हत्या करने के अपराध में सिद्धदोष पाया गया। यह अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराधिक मानव-वध के रूप में माना गया, और अपीलार्थी को आजीवन कारावास का दंड प्रदान किया गया।

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि पर्याप्त, विश्वसनीय तथा ठोस साक्ष्य के अभाव में, जो अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए आवश्यक था, अधिनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराकर दंडित कर उपरोक्तानुसार अवैधता कारित की है।

3. अभियोजन के प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है —अपीलार्थी/अभियुक्त तथा मृतिका ललिता बाई, जो अभियुक्त की भाभी थीं, एक ही छत के नीचे निवास कर रहे थे। मृतका का किसी डॉक्टर, जो एक नर्स के रूप में कार्यरत था, के साथ अवैध सम्बन्ध था, जिसके कारण अपीलार्थी उससे असंतुष्ट था। दुर्भाग्य दिन, दिनांक 23/11/1991 को प्रातः लगभग 10:30 बजे, अपीलार्थी ने मृतका से कहा कि वह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दे, यह कहकर कि उसका उस डॉक्टर के साथ अवैध संबंध है। इसके पश्चात उसने मृतका पर मिट्टी का तेल (केरोसिन) डालकर आग लगा दी, जिससे उसे लगभग 90% जलने की चोटें आईं। मृतका ने सहायता के लिए चिल्लाया। उसी समय उसका पति (पी.डब्लू.4) सेमसन कांति कुमार, जो बाथरूम में था, उसकी चीख सुनकर बाहर आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी जल रही है और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियुक्त उसे धक्का दे रहा है। उसने आग बुझाने का प्रयास किया और अंततः सफल हुआ। तत्पश्चात वह तुरंत घायल पत्नी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल ले गया, जहाँ पी.डब्लू.1 डॉ. बी. मंडल ने उसका परीक्षण किया और प्रदर्श पी-1ए के अनुसार 90% जलने की चोटें पाईं। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-13) दर्ज की गई। डॉक्टर ने अन्वेषण अधिकारी को मृतका का मृत्यु-कालिक कथन दर्ज करने के लिए अनुरोध किया (प्रदर्श पी-7)। मृतका का मृत्यु-कालिक कथन अन्वेषण अधिकारी (पी.डब्लू.8) एस.एल.चौहान द्वारा दर्ज किया गया (प्रदर्श पी-7)। प्रारंभ में मृतका को गैवरा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे बांकीमोंगरा अस्पताल के लिए रेफर किया गया (प्रदर्श पी-14)। उसका बेड हेड टिकट (प्रदर्श पी-15) तैयार किया गया। इलाज के दौरान, 24/11/1991 को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर मर्ग रिपोर्ट (प्रदर्श पी-12) दर्ज की गई। गवाहों को बुलाने हेतु नोटिस (प्रदर्श पी-8) जारी किया गया। मृतका ललिता बाई का शव-पंचनामा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) तैयार किया गया। शव को बांकीमोंगरा स्थित सहायक शल्य चिकित्सक को शव-परीक्षण हेतु भेजा गया (प्रदर्श पी-2)। पोस्टमार्टम डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया गया (प्रदर्श पी-3) जिसमें पाया गया कि मृतका के शरीर पर 90% जलने की चोटें थीं, और मृत्यु का स्वरूप प्रकृति में मानववध था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पी.डब्लू. 2 डॉ.आर.एस.कँवर ने जलकर नष्ट हुए वस्त्रों के टुकड़े तथा केरोसिन के कंटेनर की भी जांच की (प्रदर्श पी-4ए)। अन्वेषण के दौरान, मृतका के पति (पी.डब्लू.4) अर्थात सेमसन कांति कुमार का भी परीक्षण किया गया (प्रदर्श पी-5), जिसमें यह पाया गया कि जब वह अपनी पत्नी को बचा रहा था, तब उसे भी सतही जलन (हुई थीं। घटनास्थल से सामग्री की जब्ती (प्रदर्श पी-6) तैयार की गई।

4. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 (संक्षेप में "संहिता") के अंतर्गत दर्ज किए गए। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण हेतु सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपार्पित किया, जहाँ यह प्रकरण चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के समक्ष विचारण हेतु हस्तांतरित हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी/अभियुक्त के दोषसिद्धि को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन द्वारा कुल 8 गवाहों का परीक्षण किया गया। अभियुक्त से संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत सभी परिस्थितियों का खंडन किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फँसाए जाने का दावा किया। अपीलार्थी ने यह बचाव लिया कि – मृतका स्वयं

अपने पति से विवाद के कारण जीवन समाप्त करने के लिए तैयार थी और उसने स्वयं आग लगाई थी, परंतु अपने पति को बचाने के प्रयास में उसने अभियुक्त पर झूठा आरोप लगा दिया।

6. दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, विद्वान् चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर, पूर्वोक्त अनुसार सजा सुनाई।

7. अपीलार्थी की ओर से श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता तथा राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री सुधीर बाजपेयी, उप शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का तर्क श्रवण किया गया। आक्षेपित निर्णय तथा अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने दृढ़ता पूर्वक यह तर्क किया कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी ने मृतिका पर केरोसीन तेल डाला तथा उसे आग के हवाले किया, अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध में अभियोजन द्वारा झूठा फँसाया गया है। अन्यथा, यदि अभियोजन का प्रकरण सिद्ध मान भी लिया जाए तो भी यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना के समय मृतिका एवं अपीलार्थी के मध्य किसी प्रकार का विवाद अथवा कहासुनी हुई थी। अभियुक्त मृतका का देवर है और मृतका के चिकित्सक के साथ अवैध संबंधों के कारण वह उससे संतुष्ट नहीं था। अपने निकट संबंधी के प्रति स्नेहवश अभियुक्त मृतका की इस अवैध गतिविधि का लगातार विरोध करता रहा। घटना

वाले दिन भी उसने मृतका को नौकरी छोड़ने की सलाह दी, जिसके पश्चात् घटना घटित हुई। अपीलार्थी ने मृतिका को बचाने का प्रयास किया तथा उसे बचाने के दौरान अपने शरीर पर भी जलने की चोट प्राप्त हुई, जिससे यह परिलक्षित होता है कि घटना अचानक प्रकोपन के कारण घटित हुई और अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग-II के दायरे से परे नहीं जाता।

9. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने **शांति बाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[1] के प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि घटना किसी भी प्रकार की पूर्व योजना के बिना क्षणिक आवेश के कारण घटित हुई थी तथा अभियुक्त ने मृतिका की साड़ी में आग लगा दी थी, किन्तु मृतिका की हत्या करने का कोई आशय नहीं था, अतः ऐसा अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत आता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने आगे **बेटू उर्फ़ कमाल खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[2] के निर्णय का भी अवलंब लिया, जिसमें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ को सिद्ध करने में हुई अपनी विफलता का लाभ नहीं उठा सकता, किन्तु बचाव पक्ष ऐसे अप्रमाणित दस्तावेज़ का उपयोग कर सकता है।

---

[1] 2003(1) एमपीजेआर एसएन 61

[2] 1994 एम्.पी.एल.जे.847

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य कि ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए यह तर्क किया कि दोषसिद्धि मृतका के पति एवं चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्लू.-4 सेमसान कांती कुमार के कथन पर आधारित है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मृतका को अचानक आग के हवाले नहीं किया गया, बल्कि पहले उस पर केरोसिन तेल डालकर उसे आग लगाई गई, जो मृतका की हत्या कारित करने के उसके गंभीर आशय को दर्शाता है।

12. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के विवेचन करने के प्रश्न में, हमने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है। वर्तमान प्रकरण में मृतका ललिता बाई की मृत्योपरांत 90% जलने की मृत्युपूर्व चोटों के कारण हुए मानववध को अभियुक्त की ओर से गंभीर रूप से विवादित नहीं किया गया है। इसके विपरीत, अन्यथा भी अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-1 डॉ. बी. मंडल की गवाही, चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी-1ए तथा पी.डब्लू.-2 डॉ. आर. एस. कंवर की गवाही एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 से भी यह सिद्ध हो गया है कि मृतका की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जहाँ तक अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता का संबंध है, प्रश्नगत अपराध में दोषसिद्धि मुख्यतः निम्न साक्ष्य पर आधारित है पी.डब्लू.-4 सेमसन कान्ति कुमार के साक्ष्य पर, जिन्होंने

अपने बयान में यह कहा कि 24/11/91 को जब वे अपने स्नानागार में थे, उस समय मृतका ललिता बाई अपने घर के भीतर कार्य कर रही थी। तभी अपीलार्थी कोरबा से आया और उसने मृतका के चरित्र पर दोषारोपण किया। उसने मृतका से कहा कि वह स्वयं को स्थानांतरित करा ले, अन्यथा वह उसे मार डालेगा। इसके बाद उसने ललिता बाई की चीखें सुनीं। वह चिल्ला रही थी-"चारू के पापा मुझे दीपक ने मार डाला, मुझे बचाओ-बचाओ"। तत्पश्चात जब वह बाथरूम से बाहर आया, तो उसने देखा कि मृतका जली हुई अवस्था में पड़ी थी और आरोपी उसे धकेल रहा था, तब उसने आग बुझाई। उसे स्वयं भी जलने की चोट आई। उसने सहायता के लिए पुकारा, पड़ोसी भी सहायता के लिए आए और वे लोग मृतका को एम्बुलेंस से अस्पताल ले गए, जहाँ दूसरे दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बचाव-पक्ष ने इस गवाह का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया, और विस्तृत प्रतिपरीक्षण में यह गवाह अपने इस कथन पर दृढ़ रहा कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति था, जिसने मृतका को आग लगाई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. पी.डब्लू.-6 नंद किशोर विश्वकर्मा ने पी.डब्लू.-4 सेमसन कान्ति कुमार के साक्ष्य की प्रमुख रूप से पुष्टि की है। मृतका ललिता बाई का मृत्यु-कालिक कथन पी.डब्लू.-8 एस. एल. चौहान द्वारा प्रदर्श पी-7 के माध्यम से अभिलेखित किया गया था। पी.डब्लू.-1 डॉ. बी. मंडल ने भी मृत्यु-

कालिक कथन के तथ्य की पर्याप्त पुष्टि की है। मृत्यु-कालिक कथन दर्ज किए जाने के समय मृतका सचेत अवस्था में थी एवं अन्वेषण अधिकारी पी.डब्लू.-8 एस. एल. चौहान ने उसका मृत्यु-कालिक कथन प्रदर्श पी-7 के रूप में दर्ज किया, जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि झगड़े के बाद अपीलार्थी ने मृतका पर कुछ पदार्थ डाला और उसे आग लगा दी। वर्तमान प्रकरण में पी.डब्लू.-1 डॉ. बी. मंडल तथा पी.डब्लू.-8 एस. एल. चौहान दोनों ने मृतका द्वारा दिए गए मृत्यु-कालिक कथन के तथ्य को विधिवत सिद्ध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मृत्यु-कालिक कथन का सिद्धांत विधिक सिद्धांत *"nemo moriturus praesumitur mentiri"* पर आधारित है - जिसका अर्थ है कि *"जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है, वह असत्य नहीं बोलता।"* अर्थात, एक व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में अपने मुख में झूठ लेकर अपने सृष्टिकर्ता से नहीं मिलता।

16. लॉर्ड चीफ जस्टिस बैरन आयर {देखें आर. बनाम वूडकॉक, (1789) 1 एलईए 502} ने मृत्यु-कालिक कथन से संबंधित अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया:- "ऐसे कथन अत्यंत स्थिति में किए जाते हैं, जब व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होता है, और जब इस संसार से हर आशा समाप्त हो चुकी होती है; जब असत्य कहने का प्रत्येक कारण शांत हो जाता है, और मन को सत्य

कहने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार प्रेरित करते हैं; ऐसी स्थिति इतनी गंभीर और भयानक होती है कि विधि इसे एक ऐसे दायित्व के रूप में मानती है जो न्यायालय में सकारात्मक शपथ द्वारा लगाए गए दायित्व के समान होता है।"

17. मृत्यु-कालिक कथन तथा अपीलार्थी द्वारा मृतका को जलाकर चोट पहुँचाने के तथ्य को पी.डब्लू.-4 सेमसन कांति कुमार मृतका के पति तथा पी.डब्लू.-6 नंद किशोर विश्वकर्मा की गवाही द्वारा पर्याप्त रूप से पुष्ट किया गया है। जहाँ तक अपीलार्थी के भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि का प्रश्न है, यह **शांति बाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में माना गया कि एक क्षणिक आवेश की स्थिति में अभियुक्त ने मृतका की साड़ी को रसोईघर से जलती लकड़ी से प्रज्वलित कर दिया था; यह मामला पूर्व नियोजन के बिना और हत्या के समकक्ष न होकर बिना आशय आपराधिक मानववध का मामला माना गया था। किन्तु वर्तमान प्रकरण में, विवाद/झगड़े के बाद अपीलार्थी ने मृतका पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। मिट्टी का तेल डालना और उसे प्रज्वलित करना यह दर्शाता है कि अपीलार्थी को निश्चित रूप से यह ज्ञान था कि इससे मृतका की मृत्यु हो जाएगी। अतः मिट्टी का तेल डालने की क्रिया स्वयं में अपीलार्थी का एक आशयपूर्वक किया गया कृत्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **<u>बेटू उर्फ़ कमाल खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य (पूर्वोक्त)</u>** के प्रकरण में यह प्रतिवाद किया जा सकता है कि बचाव पक्ष अप्रमाणित दस्तावेज़ का उपयोग कर सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है कि घटना के समय अपीलार्थी स्वयं घायल हुआ था, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है, यद्यपि पी.डब्लू.-7 अभय किंडो, उप-निरीक्षक ने अपने साक्ष्य की कंडिका-8 में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय अपीलार्थी को भी जलने की चोटें आई थीं। पी.डब्लू.-4 सेमसन कांती कुमार, जो मृतका का पति है, ने अपने साक्ष्य की कंडिका-2 में यह कहा है कि उसकी पत्नी जली हुई अवस्था में पड़ी थी और अपीलार्थी उसे धक्का दे रहा था। यह साक्ष्य इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी को जलने की चोटें कैसे आईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. पी.डब्लू.-4 सेमसन कांती कुमार का साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त है कि घटना के समय अपीलार्थी कोरबा से गेवरा आया और अपनी पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाया, और तत्पश्चात उसने उपर्युक्त अपराध कारित किया, उपरोक्त अपराध यह दर्शाता है कि उसका मृतका की हत्या के तुल्य आपराधिक मानव-वध का गंभीर अपराध कारित करने का आशय था।

20. अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करने के उपरांत, विद्वान् चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया है और उपर्युक्तानुसार दंडादेश दिया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि विश्वसनीय, निर्णायक तथा विधि के अंतर्गत, विधिक साक्ष्य स्थिर रखने योग्य है।

21. साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करने पर हम उपर्युक्त आक्षेपित निर्णय में कोई भी अवैधता नहीं पते। परिणामितः यह दांडिक अपील ख़ारिज किये जाने योग्य है और इसे इस प्रकार खारिज किया जाता है। अपीलार्थी वर्तमान में जमानत पर है, अतः सत्र प्रकरण क्रमांक 106/92 में पारित शेष दण्डादेश को भोगने के लिए चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के समक्ष आत्मसमर्पण करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/- हस्ताक्षरित/-

टी. पी. शर्मा **आर. एल. झंवर**

न्यायमूर्ति **न्यायमूर्ति**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... RANJAN GUPTA, ADVOCATE